न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/226

1. जगदीश
2. गिरिराज
3. ओमप्रकाश पिसरान स्व0 श्री मोहन लाल जाति मीणा ।
4. कौशल्या
5. अनिता
6. टीना नाबालिंग पुत्रियॉ स्व0 मोहन लाल जरिये वली माता कैलाश बाई बेवा स्वर्गीय मोहनलाल जाति मीणा ।
7. कैलाश बाई बेवा स्व0 मोहनलाल ।
8. कस्तूरचन्द
9. रामस्वरूप
10. कमलेश
11. शम्भू पिसरान श्री रामचन्द्र जाति मीणा ।
12. नन्दकंवरी बेवा स्व0 श्री रामचन्द्र जाति मीणा ।
13. जवाहरीलाल आत्मज स्वर्गीय श्री औंकार लाल जाति मीणा ।
14. रमेश चन्द बेवा स्वर्गीय औंकार लाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
    - 14/1. संतोष बेवा स्व0 रमेशचन्द जाति मीनाा ।
    - 14/2. बलराम
    - 14/3. शालू पिसरान स्वर्गीय रमेशचन्द जाति मीणा निवासी कीतलहेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
    - 14/4. संदीप नाबालिग पुत्र स्व0 रमेश चन्द जरिये वली माता संतोष ।
    - 14/5. नीतू पुत्री स्व0 श्री रमेश चन्द्र पत्नी श्री मांगीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम केशवपुरा कोटा ।
    - 14/6. गिरिजा पुत्री स्व0 रमेशचन्द्र जी पत्नी रघुवीर जाति मीणा निवासी ग्राम कादीहेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
15. कन्या बाई बेवा स्वर्गीय श्री औंकार जाति मीणा निवासी कीतलहेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

––अपीलान्ट

बनाम

अभयमान आत्मज श्री मन्ना जाति मीणा निवासी ग्राम कीतलहेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री भगवती बल्लभ शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री हुकम चन्द जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 14.02.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.04.2017 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत ग्राम कीतलहेडा तहसील लाडपुरा की आराजी कुल 11 किता की 7.95 हैक्टर के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 से 7 का 1/2 हिस्सा है तथा प्रतिवादीगण क्रम 08 से 12 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण क्रम 13 से 15 का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है । सम्पूर्ण आराजी में वादी का 1/4 हिस्सा निहित है । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादी अपने हिस्से की भूमि का विधिवत विभाजन कराने का अधिकारी है।

3. अतः वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/4 हिस्सा का विधिवत विभाजन किया जाकर वादी को प्राप्त होने वाली भूमि वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में पृथक से दर्ज की जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 08.04.2017 के द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित कर दी ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.04.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र जमाबन्दी में बतौर सहखातेदार अंकन होने के आधार पर पत्रावली में आई साक्ष्य के विपरीत राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टि खण्डनीय होने की मान्यता के विपरीत जाकर उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित की है । अपीलान्ट वादी के भतीजे एवं पुत्र हैं जिन्होंने अपनी साक्ष्य से वादी के बचपन में डालू ली के गोद जाने के तथ्यों को स्वतंत्र गवाह से साबित करने के बावजदू तथा वादी रेस्पोडेन्ट की स्वीकृति के विपरीत उक्त निर्णय पारित कर दिया । वादी पूर्व में ही वर्ष 1961 बचपन में ही डालू के गोद चला गया था और डालू की कृषि आराजी पर काबिज काश्त है और उनके मकान में ही निवास कर रहा है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अत अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.04.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ज निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । प्रस्तुत प्रकरण प्रतिवादीगण अपीलान्ट द्वारा वादी के डालू के गोद चले जाने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य ए

ज पेश नहीं किया है । रेस्पोडेन्ट डालू के कभी नहीं गया है । इस प्रकार अधीनस्थ यालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में लिपिकीय त्रुटि से अपीलान्ट का कब्जा नहीं होना उल्लेखित किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.04.2017 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किय एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर उक्त निर्णय एंव प्राथमिक डिक्री पारित कर दी। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने वादी रेस्पोडेन्ट को वर्ष 1961 में डालू के गोद जाना बताया है । प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने गवाह बयानों से साबित करवाया है कि वादी डालू के गोद चला गया था । वैसे भी यहॉ उल्लेखनी है कि वादी द्वारा इतने वर्षो वाद अर्थात् अपनी 75 वर्ष की उम्र में यह वाद प्रस्तुत किया है । प्रस्तुत प्रकरण में गवाह, बयानों से साबित किया है कि वादी डालू के गोद गया था । प्रतिवादीगा अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में तहरीर जागा पृथ्वीराज के हथा से लिखी पेश की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में मियाद बिन्दु पर तनकी कायम नहीं की है । प्रस्तुत प्रकरण में गोद के सम्बन्ध में वादी द्वारा किसी प्रकार की कोई जिरह नहीं की गई है । वादी रेस्पोडेन्ट ने अपनी जिरह में संवत् 2018 में स्वयं को डालू के गोद जाना बताया है । इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य, गवाह, बयानों का अवलोकन किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.04.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाह, बयानों का अवलोकन कर यदि कोई अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता हो तो लेते हुए दावा एवं जवाबदावा के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 28.03.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 14.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा